संख्या– 82/VI-I/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल विभाग,
देहरादून।

खेल अनुभाग : देहरादून : दिनांक 8 जून, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–527A/XXVII(I)/2005, दिनांक 26 अप्रैल, 2005 एवं खेल निदेशालय के पत्र संख्या–75/आ0व्यय0प0/2004–05, दिनांक 07 अप्रैल, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेल विभाग, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु (माह अप्रैल को सम्मिलित करते हुए) आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 94.00 लाख (रूपये चौरानब्बे लाख मात्र) निम्न विवरणानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(क)–लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–104–खेलकूद

(धनराशि हजार रूपये में)

क0सं0	मानक मद	आयोजनागत
1	03–भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	50
2	04–क्रीड़ा छात्रावास की आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय 42–अन्य व्यय	3300
3	05–क्रीड़ागनों का विकास 29–अनुरक्षण 42–अन्यय व्यय	600 500
4	07–विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशिय पुरूस्कार 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	250
5	राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरूस्कार 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	300
6	11–राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशिय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	400
7	12–प्रदेशिय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	500
8	14–प्रतियोगिताओं का आयोजन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1500
9	15–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1300
10	21–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	200
11	22–प्रदेशिय क्रीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	500
	योग	9400

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंबटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकारी नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3– बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें अथवा टैन्डर/कोटेशन विषयक नियमों के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता की मद की धनराशि का अवमुक्त आहरण न करके 3 किश्तो में अथवा आवश्यकतानुसार किश्तों में से आहरित किया जायेगा और उसका उपयोग करने के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं मदवार विवरण दिनांक 31–03–2006 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मिव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशें में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31–03–06 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204 खेल तथा युवा सेवाएं–00–आयोजनेत्तर 104–खेलकूद के अन्तर्गत प्ररतर में उल्लिखित सुसमृद्ध प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र सं0–239/वित्त अनुभाग–2/2005 दिनांक 06 जून , 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-1/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
6– एन0आई0सी0, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।